ऑन लाईन नं. GCMS 2023/249

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 100/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

–विक्रेता व मालिक –

1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल
मै0 श्रीबालाजी किराना स्टोर, मैन बाजार, बींझवायला, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

दिनांक : 20.12.2024

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2021 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटोप्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.02.2022 को सुबह 11. 00 बजे **मै0 श्रीबालाजी किराना स्टोर, मैन बाजार, बींझवायला, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल** को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर रखे **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** के 500–500 एमएल के 14 पैक बोतल को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** 500–500 एमएल के 4 मूल पैक बोतलों को विक्रेता से खरीद किए। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** का नगद भुगतान 600/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** 500–500 एमएल के 4 मूल पैक बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1351** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1351** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य नमूना **K-1351 Unsafe Food & Misbranded Food** होना पाया गया। अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया, विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन किया गया व नमूना जांच हेतु रेफरल लेब पूणे भिजवाया गया, जिससे प्राप्त लेब रिपोर्ट नंबर RFL/P/DO/160/22/198 dated 28-03-2022 के द्वारा **Misbranded Food** पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल, मै0 श्रीबालाजी किराना स्टोर, मैन बाजार, बींझवायला, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **अलसी तेल(स्वामी ट्रू गोल्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की आरे से श्री नवनीत कटारिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि वाद पत्र के साथ आवदेक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तरणीय है। वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गए है।, जिससे यह साबित होता है कि एफएसओ द्वारा नमूना लेते समय एफएसएसए के नियमों की अवहेलना की गई है। न्याय दृष्टांत एफएसी–207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। **FSS Act 2006** के **Section 32** खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पालना नहीं की गइ है, जिसके अंतर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में बेस्ट बिफोर लिखा होने पर क्या मिसब्रांड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। **FSS Authority** द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में **Section 32 FSS Act** के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहीत अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 एफएसी 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन सं. 24/2017 के पारित अपने निर्णय आदेश दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्ध एफबीओ खारिज किया गया है। प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों के आधार पर विवि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है, प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लघंन एफएसओ द्वारा किया गया है, जिसकी शास्ति/ जुर्माना एफएसओ पर विधिनुसार अधिरोपित की जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना में किसी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **अलसी तेल(स्वामी द्रू गोल्ड)** का सैम्पल **K-1351** जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO/160/22/198 dated 28-03-2022 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए बताया कि वाद पत्र के साथ आवदेक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभाव में निरस्तरणीय है। वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गए है। जिससे यह साबित होता है कि एफएसओ द्वारा नमूना लेते समय एफएसएसए के नियमों की अवहेलना की गई है। न्याय दृष्टांत एफएसी–207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। FSS Act 2006 के Section 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पालना नहीं की गइ है, जिसके अंतर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में बेस्ट बिफोर लिखा होने पर क्या मिसब्रांड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहीत अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 एफएसी 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन सं. 24/2017 के पारित अपने निर्णय आदेश दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्ध एफबीओ खारिज किया गया है। प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों के आधार पर विवि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है, प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लघंन एफएसओ द्वारा किया गया है, जिसकी शास्ति/ जुर्माना एफएसओ पर विधिनुसार अधिरोपित की जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना में किसी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Fat oils & Fat Emulsions Brand bearing Code No and Sr. No. K-1352, conforms to the standard of Linseed Oil as per Regulation No. 2.2.1(4) of Food safety and Standard(Food Products Standards & Food additives) Regulation 2011 & Further amendments, on the basis of testperformed. But it Contravenes Regulation No. 2.1.1(7), 2.2.2(3)& 2.2.2(4) of Food safety and Standard(Packing & Lageling) Regulation 2011 and urther amendments. Hence Mis-branded as per Section 3(1)(zf)©(i) of food safety & Satndard Act 2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियक्त **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल, मै0 श्रीबालाजी किराना स्टोर, मैन बाजार, बींझवायला, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नंदराम धायल, मै0 श्रीबालाजी किराना स्टोर, मैन बाजार, बींझवायला, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10000/– (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर